

परिशिष्ट "अ"

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद की हरदा जिले शाखाओं व संबद्ध समितियों द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही

थाना	आरोपी का नाम	शिकायत किस कार्यालय से प्राप्त हुई है तथा शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत पर की गई कार्यवाही	शिकायत की अद्यतन स्थिति	यदि शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो कारण
थाना हरदा	कमल गौर एवं अन्य 60 बैंक कर्मचारी	थाना हरदा में थाना प्रभारी हरदा को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद नोडल शाखा हरदा से प्राप्त होने पर 1. श्री ए. के. एहलाद, नोडल अधिकारी, नोडल शाखा हरदा 2. श्री हेमन्त व्यास, सहायक नोडल अधिकारी, नोडल शाखा हरदा	शिकायत जांच पर से दिनांक 08.03.2015 को अपराध क्रमांक 150/15 धारा 420, 467, 468, 406, 409, 120बी भादवि पंजीबद्ध होकर विवेचना में है।	शिकायत अपराध में संलग्न की गई है।	निरंक
थाना हरदा	मंगलसिंह मौर्य	पुलिस अधीक्षक कार्यालय हरदा पत्र क पुअ/हरदा/शिका/42/16 दि. 5.7.16 कार्यालय वृहत्ताकार सहकारी समिति मर्यादित कडौला रफिक खान पिता युसुफ खान उम्र 54 साल नि० जुमेराती होशांगाबाद हाल समिति प्रबंधक वृहत्ताकार सहकारी समिति मर्यादित कडौला	शिकायत जांच पर से दिनांक 07.07.2016 को अपराध क्रमांक 569/16 धारा 420.406.409 भादवि पंजीबद्ध होकर विवेचना में है।	शिकायत अपराध में संलग्न की गई है।	निरंक

(Handwritten Signature)
राजेश कुमार
 मध्य प्रदेश शासन,
 प्र (पुलिस) विभाग, सी (1),
 भोपाल, मध्य प्रदेश

(Handwritten Signature)
AJG.J.C.I. D.
 Madhya Pradesh
 BHO PAL

(4)